

**दिनांक 14 दिसंबर, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए
चीन के साथ व्यापार**

1253. श्री विनसेंट एच.पाला:

डॉ. ए चेल्लाकुमार:

श्री बेन्नी बेहनन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है यदि हां, तो चीन के साथ व्यापार की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य कितना है और वर्ष 2014 से अब तक आयात और निर्यात का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2014 से आज की तारीख तक चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
- (ग) पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिए चीन के आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता के क्या कारण हैं;
- (घ) उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं के बावजूद भारत के रसायनों और इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के लिए चीनी आयात पर निर्भर रहने के क्या कारण हैं;
- (ङ) चीन पर भारत की निर्भरता को कम करने के लिए बनाई गई पीएलआई योजनाएं अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल क्यों रही हैं; और
- (च) क्या सरकार चीन पर व्यापार निर्भरता को कम करने के लिए कोई अन्य पहल कर रही है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)**

(क) : नहीं। 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा पण्य वस्तु व्यापार भागीदार संयुक्त राज्य अमेरिका था।

(ख) : वित्त वर्ष 2014-15 से चीन के साथ व्यापार घाटा इस प्रकार है:

(यूएसडी बिलियन में मूल्य)

वित्तीय वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (अप्रैल-अक्टूबर) (अन.)
निर्यात	11.93	9.01	10.17	13.33	16.75	16.61	21.18	21.26	8.77
आयात	60.41	61.70	61.28	76.38	70.31	65.26	65.21	94.57	60.27
कुल व्यापार	72.34	70.71	71.45	89.71	87.06	81.87	86.39	115.83	69.04
व्यापार घाटा	48.48	52.69	51.11	63.05	53.56	48.65	44.03	73.31	51.50

(स्रोत: डीजीसीआईएस)

*(अन.) अंतिम के लिए है

2004-05 में चीन के साथ व्यापार घाटा 1.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो 2013-14 में 2346% की वृद्धि के साथ 36.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इस भारी वृद्धि की तुलना में चीन के साथ व्यापार घाटा 2013-14 में 36.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2021-22 में केवल लगभग 100% बढ़कर 73.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

(ग) : चीन से आयातित अधिकांश सामान पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती सामान और कच्चा माल है और भारत में उनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और बिजली जैसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक घटकों, कंप्यूटर हार्डवेयर और बाह्य उपकरणों, टेलीफोन घटकों, आदि के आयात में वृद्धि का श्रेय भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए दिया जा सकता है। इन श्रेणियों में आयात पर भारत की निर्भरता काफी हद तक घरेलू आपूर्ति और मांग के बीच के अंतर के कारण है।

(घ) : चीन से आयातित एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (एपीआई) और ड्रग फॉर्मूलेशन के रूप में कच्चे माल का उपयोग तैयार उत्पाद (जेनेरिक दवाएं) बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें भारत से बाहर भी निर्यात किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक घटक जैसे मोबाइल फोन के पुर्जे, एकीकृत सर्किट, वीडियो रिकॉर्डिंग या पुनरुत्पादन उपकरण आदि का उपयोग तैयार उत्पाद (जैसे मोबाइल हैंडसेट) बनाने के लिए किया जाता है जिसका भी अन्य देशों को निर्यात किया जाता है। एपीआई/बल्क ड्रग्स/की स्टार्टिंग मैटेरियल्स और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन लिंकड इंसेंटिव स्कीम (पीएलआई) सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है और ये स्कीम में आयात पर निर्भरता कम करेगी और भारत को ड्रग्स/इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रतिस्पर्धी गंतव्य बनाएंगी और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के अलावा और अधिक घरेलू चैंपियन बनाएंगी हैं।

(ड) और (च): हालांकि पीएलआई योजनाएं हाल ही में शुरू की गई हैं, उन्होंने परिणाम दिखाना शुरू कर दिया है और कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

i) बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना ने मोबाइल फोन और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक संघटकों का विनिर्माण करने वाली वैश्विक और घरेलू कंपनियों से बड़े निवेश को आकर्षित किया है। मोबाइल फोन के उत्पादन के साथ-साथ निर्यात में भी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2014-15 में मोबाइल हैंडसेट का आयात 48,609 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 11,209 करोड़ रुपये हो गया, जबकि भारत से मोबाइल फोन का निर्यात पहली बार सितंबर 2022 में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर (8,200 करोड़ रुपये से अधिक) का हो गया। वित्त वर्ष 2022-23 में, अक्टूबर 2022 तक मोबाइल फोन निर्यात 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया जबकि वर्ष 2021-22 की इसी अवधि के दौरान यह 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ था।

ii) सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री एपीआई के लिए पीएलआई के तहत कुल 51 आवेदकों को 4138.41 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ अनुमोदित किया गया और लगभग 10,598 लोगों के रोजगार सृजन की उम्मीद है। उद्योग ने अच्छी प्रतिक्रिया दी है और सितंबर 2022 तक वास्तविक निवेश 1707.37 करोड़ रुपये का हो गया।

(iii) 'चिकित्सा उपकरणों' के लिए पीएलआई योजना के तहत, कुल 1058.97 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ कुल 21 आवेदकों को मंजूरी दी गई है,

(iv) फार्मास्युटिकल्स के लिए पीएलआई के तहत, 17,425 करोड़ रुपये के कुल प्रतिबद्ध व्यय के साथ 55 आवेदकों को मंजूरी दी गई है और सितंबर 2022 तक वास्तविक निवेश 15,164 करोड़ रुपये है, जिसमें 261 विनिर्माण अवस्थापन कमीशन हैं।

(v) दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए पीएलआई के तहत, 01-04-2022 से प्रभावी पीएलआई योजना दिशानिर्देशों में संशोधन किए गए थे, ताकि योजना के दायरे को बढ़ाया जा सके, और 5जी उत्पादों के लिए डिजाइन-आधारित विनिर्माण को सुविधाजनक बनाया जा सके। योजना अवधि में 4115 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 42 कंपनियों को स्वीकृति प्रदान की गई है। दूरसंचार और नेटवर्किंग उत्पादों के लिए, 30-09-2022 तक की स्थिति के अनुसार 01-04-2021 से 14,735 करोड़ रुपये की बिक्री हुई जिसमें से 8,063 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ।

(vi) उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के लिए पीएलआई योजना के तहत, योजना के ट्रेच 1 के तहत, पूरी तरह से एकीकृत सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण इकाइयों की 8.737 जीडब्ल्यू क्षमता स्थापित करने के लिए नवंबर/दिसंबर 2021 में 3 सफल बोलीकर्ताओं को अधिनिर्णय पत्र जारी किए गए। विनिर्माण क्षमता 2024 के अंत के आसपास चालू होने के लिए निर्धारित है।

सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने, अनुपालन बोझ को कम करने, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान आदि जैसी घरेलू क्षमताओं को सहायता देने और विस्तार करने के लिए कई अन्य कदम उठाए हैं।

सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में आयातित उत्पादों के मानकों/गुणवत्ता के रखरखाव के लिए कई उत्पादों के लिए तकनीकी विनियम (टीआर) तैयार करना शामिल है। इसके अलावा, यदि भारतीय उद्योग को आयातों में तीव्र वृद्धि या अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के कारण ' गम्भीर क्षति' या गम्भीर क्षति की चुनौती उत्पन्न होने पर व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) को अतिरिक्त शुल्क या मात्रात्मक प्रतिबंध (क्यूआर) लगाकर उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश करने का अधिकार है। वर्तमान में, 53 एंटी-डंपिंग उपाय और 4 काउंटरवेलिंग ड्यूटी उपाय अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण चीनी उत्पादों पर लागू हैं।

सरकार ने भारत में घटिया और असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक सामानों के आयात पर अंकुश लगाने के लिए "इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सामान (अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता) आदेश 2021" भी अधिसूचित किया है। अनिवार्य पंजीकरण आदेश के तहत 63 उत्पाद श्रेणियों को अधिसूचित किया गया है। इसी प्रकार, खिलाओं के लिए, सरकार ने 25 फरवरी 2020 को खिलांने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जारी किया है, जिसके माध्यम से 1 जनवरी 2021 से खिलांने को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के अनिवार्य प्रमाणन के तहत लाया गया है। इससे घटिया खिलांने के आयात पर रोक लगेगी। रसायन और उर्वरक क्षेत्र में, आज की तारीख तक 66 उत्पादों के साथ 61 क्यूसीओ को बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य करते हुए अधिसूचित किया गया है।

सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया है, जिसके तहत सार्वजनिक खरीद में, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के लाभकारी स्वामित्व वाले बोलीदाता सरकार के साथ पंजीकरण के बाद ही बोली लगाने के पात्र होंगे।

सरकारी खरीद पोर्टल यानी गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) ने विक्रेताओं के लिए उन उत्पादों पर ' उद्गम के देश ' का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है, जिन्हें वे प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचना चाहते हैं, यह कदम आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
